an>

Title: Need to extend pecuniary jurisdiction of Delhi District Courts beyond Rupees 20 Lakhs.

श्री महेश गिरी : मैं पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आता हूं, जहां गरीब वर्ग का तबका बहुत ज्यादा है, वहां की गुहार लेकर आया हूं। यदि कोई गरीब अपने घर की समस्या के लिए, अपने प्लॉट की समस्या के लिए न्यायालय में सुनवाई चाहता है। जब उसे कोई समस्या हो जाती है, कभी उसे प्लॉट मिलने वाले हों, उसकी घर वहीं झुग्गी पर होने वाली है। पिछली सरकारों में बहुत वायदे हुए, लेकिन केवल सर्टिफिकेट ही बांटे गए। उन्हें जब न्याय मांगना होता है तो वह निचली अदालतों में जाते हैं। जिस जगह की वे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक होती है और जैसे ही उस जगह की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक होती है उन्हें तुरंत यह कहा जाता है कि यह निचली अदालतों में नहीं, यह उच्च न्यायालयों में केस लड़ा जाएगा। जब उच्च न्यायालय में लड़ने की बात आती है तो उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि वे इतनी बड़ी फीस नहीं दे पाते हैं। निचली अदालतों के वकील भी उनका केस नहीं लड़ पाते, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। एक, हाई कोर्ट में इसकी वजह से बहुत सारे केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। दूसरा, गरीब तबका इसका बोझ नहीं ढो पाता।

महोदया, इसके लिए कई बार वहां के वकीलों ने हड़ताल भी की है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां पर ऐसे वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, वे उच्च न्यायालयों में केस नहीं लड़ते, निचली अदालतों में लड़ते हैं। कुछ समय पहले इसके लिए एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि 20 लाख रुपये की सीमा को 2 करोड़ रुपये तक की जाए। मैं कानून मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाकी सभी राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपये से असीमित तक है, तो केवल दिल्ली में ही ऐसा क्यों, जिससे बहुत बड़ा समाज प्रभावित हो रहा है। खासकर मेरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मैं उनकी गुहार लगाकर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कानून मंत्री इसके लिए जल्द से जल्द कोई निर्णय लें।